आवेदन पत्र पत्र संख्या 144/2020
होशियार सिंह वगै. बनाम राजेन्द्र वगै.
निर्णय दिनांक 25.03.2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान आरएए

राजस्व वाद स. 144/2020

1. होशियारसिंह पुत्र नेतराम उम्र 59 वर्ष जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. दयानन्द पुत्र नेतराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)डवइण्छवण्7297971110

...........आवेदकगण

— बनाम —

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र बुजाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र बुजाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 251(क) राज. कास्त अधिनियम</u>

उपस्थिति —
1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता — आवेदकगण की ओर से ।
2. श्री महावीर चौधरी , अधिवक्ता अनावेदक स. 1 लगायत 2 की ओर से ।शेष विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

—:: निर्णय ::—

दिनांक — 25.03.2022

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:—

1. यह कि वाके ग्राम मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी ख.न. 575/573 रकबा 1.59 हैक्टर का खातेदार आवेदक सं. 1 हैं तथा भूमी ख.न. 574/573 रकबा 1.59 हैक्टर का खातेदार आवेदक सं. 2 हैं आवेदकगण कृषि पेशा व्यक्ति है एवं अपनी खातेदारी की भूमि को कृषि उपयोग में लेते है फसल कास्त करते है एवं लाटते काटते है।
2. यह कि आवेदकगण की भूमि के दक्षिण में ख.न. 563/33 रकबा 1.34 है. जो अनावेदक सं. 2 के नाम खाते[illegible] है तथा ख.न. 564/33 रकबा 1.15 है. भूमि है जो अनावेद[illegible] नाम खातेदारी में दर्ज है तथा ख.न. 563/33 एवं 564/33 के [illegible] में आम रास्ता ख.न. 65 रकबा 0.59 है. स्थित है जिसकी किस्म गै[illegible]स्ता दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

3. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 574 / 573 एवं 575 / 573 में आने जाने फसल कास्त करने फसल काटने लाटने एवं कृषि उपज को बाजार में बेचान करने के लिए ट्रक्टर, जीप, ऊंटगाडा आदि के लिये अन्य कोई रास्ता नही है आवेदकगण को ख.न. 563 / 33 एवं 564 / 33 की सीमा पर से 13 फीट चोड़ा अर्थात 4 मीटर चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है आवेदकगण के लिये सबसे सुगम सरल व नजदीकी यही रास्ता है इस आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ता का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ पेश है जो आवेदन पत्र का भाग रहेगा। आवेदकगण दोनों भाई है एवं मौके पर अपनी – अपनी भूमि में आवेदकगण एक दूसरे की भूमि में से परस्पर सहमति से आते–जाते है।

4. यह कि आम रास्ता ख.न. 65 से उत्तर में अनावेदक सं. 1 व 2 की भूमि ख. न. 563 / 33 एवं ख.न. 564 / 33 स्थित है उसके उत्तर में आवेदकगण की भूमि है आवेदकगण की भूमि के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है। ख.न. 564 / 33 की पश्चिमी सीमा व ख.न. 563 / 33 की पूर्वी सीमा पर से ही अर्थात दोनों जोतो की सीमा पर से ही आवागमन करते रहे है लेकिन मौके पर कटानी रास्ता नही होने से आवेदकगण अपने खेतो तक ऊंटगाडा, ट्रक्टर, जीप आदि नही ले जा सकते है जिससे आवेदकगण को अपनी भूमि को फसल कास्त करने फसल काटने लाटने एवं कृषि ऊपज को बाजार में बेचान करने हेतू ले जाने में भारी असुविधा है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

5. यह कि आवेदकगण धारा 251 क रा.का.अधिनियम के अनुसार रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी.दर की दौगुनी राशी का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है एवं अनावेदक सं. 1 व 2 को सहमति से या एग्रीमेन्ट से रास्ता की मांग की तो उन्होने इन्कार कर दिया इसलिये आवेदकगण के लिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदकगण की भूमि ख.न. 574 / 573 एवं 575 / 573 के लिये कोई रास्ता नही होने एवं अनावेदक सं. 1 व 2 द्वारा रास्ता सहमति से देने से इन्कार कर देने से पैदा हुआ है अतः आवेदन पत्र अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।

7. यह कि आवेदकगण की भूमि व चाहे गये रास्ता की भूमि वाके ग्राम मैनाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

8. यह कि अनावेदक सं. 3 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

10. यह कि आवेदन पत्र के अपडेटड रिकार्ड पेश है तथा आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन ... कृषि भूमि ख.न.

(क) कि वाके ग्राम मैनाना स्थित आवेदकगण ... अनावेदकगण सं. 1 व 2 की भूमि 574 / 573 एवं 575 / 573 ... से 13 फीट (4 मीटर) ख.न. 563 / 33 एवं 564 / 33 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

चौड़ा रास्ता आम रास्ता ख.न. 65 तक कायम किया जाकर उसका सीमाकंन एवं मापन कर रास्ता के काम आने वाले रकबा को राजस्व रिकार्ड में राजकीय गै.मु.रास्ता दर्ज कर उसे मौके पर भी कायम किये जाने की कृपा करे। रास्ता के काम आने वाले रकबा की डी.एल.सी.दर की दौगुनी राशी अनावेदकगण को भुगतान करने को आवेदकगण तैयार एवं तत्पर है।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई जिसमें से अनावेदक स. 1 व 2 की ओर से श्री महावीर चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि :—

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि हाल ख.न. 535 / 573 का खातेदार आवेदक सं. 1 व भूमि ख.न. 574 / 573 के खातेदार आवेदक सं. 2 होना व आवेदकगण का वर्तमान में कृषि पेशा व्यक्ति होना भी स्वीकार है।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 में वर्णित भूमि अनावेदकगण सं. 1 व 2 की होना स्वीकार है लेकिन वर्तमान ख.न. 65 का आम रास्ता दर्ज रिकार्ड होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 3 में आवेदकगण को उक्त भूमि आने जाने व फसल कास्त करने हेतु गांव मैनाना से खेत हाल ख.न. 40 में जो रास्ता सालम के बास जाता है की सीमाओं से होते हुए रास्ता कई वर्षो से मौजूद है जिससे आवेदकगण व बहादूर , विधाधर व देशराम पुत्रान जयनारायण एवं सुरेश व राजेश पुत्रान नौरंगराम , महासिंह पुत्र रामकरण व इनके आगे बिहारी लाल आदि ग्राम मैनाना भी आवागमन करते रहते है। तथा वर्तमान में भी आवेदकगण व अन्य व्यक्ति इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते है शेषांश कथन कि आवेदकगण अपने खेत ख.न. 574 / 573 व 575 / 573 में आने जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता अनावेदकगण के आवेदन पत्र में वर्णित खेत ख.न. 563 / 33 व 564 / 33 में से है गलत होने से अस्वीकार है क्योकि अनावेदकगण ने अपने खेत ख.न. 563 / 33 व 564 / 33 के चारों ओर आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा करने हेतू तारबाड़ कर रखी है अनावेदकगण के पूर्व दूसरे गांव से आकर बसे हुए है व आवेदकगण संख्या में अधिक है पैसे वाले है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली ळै जो अनावेदकगण को आये दिन धमकी देते है कि तुम्हारे गौत्र के चार घर है ओर आवेदकगण जबरन लठ के जोर से उनके खेतों में से रास्ता लेकर रहेगे। चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। शेषांश कथन महज आवेदन पत्र का झुठा आधार बनाने हेतू झूठे दर्ज किये है जो अस्वीकार है।
4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 4 गलत होने से स्वीकार नही है आवेदकगण गांव मैनाना से आने आवेदन प में वर्णित खेतों में ख.न. 40 से होते हुए जाने वाले रास्ते से आवागमन करते है तथा उसी रास्ते से अन्य व्यक्ति बहादूर, विधाधर व देशराम पुत्रान जयनारायण एवं सुरेश व राजेश पुत्रान नौरंगराम, महासिंह पुत्र रामकरण व इनके आगे बिहारी लाल आदि जो अपने खेतों में मकान बनाकर रहते है आवागमन करते है यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदकगण चाहे तो वर्तमान रास्ता जो ख.न. 40 मे से होते हुए से जाता है जो उनका खर्चा भी कम लगेगा। तथा गांव से सबसे नजदीक रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। आवेदकगण को वर्तमान में अपने आवेदन पत्र में वर्णित खेतो मे आवागमन हेतु कोई असुविधा नही है क्योकि वर्तमान में आवेदकगण को अपने खेतों में जाने हेतू रास्ता उपरोक्त खसरा नम्बरान में से उपलब्ध है। वास्तविकता यह कि आवेदकगण ने भूमि हाल ख.न. 25 रकबा 2.07 है. गै. मु. जोहड़ नपर नाजायज अतिक्रमण कर उक्त जोहड़ की भूमि को लगभग 2 बीघा से अधिक भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर अपने खेत में मिलाकर कास्त करते है तथा भूमि ख.न. 25 में ही अतिक्रमण कर अपने रिहायशी मकानात बनाकर उक्त भूमि को गैरकानूनी तरिके से कब्जा कर रखा है जिसके लिए आवेदकगण उक्त रास्ता चाहते है जिसका आवेदकगण को कोई कानूनी अधिकार नही है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 5 अस्वीकार है क्योकि आवेदकगण को पूर्व से ही ख.न. 40 में से रास्ता उपबलब्ध है तो आवेदकगण को अनावेदकगण की भूमि मे से रास्ता कोई रास्ता कानूनी रूप से नही दिया जा सकता है इसलिए उक्त खण्ड में वर्णित कथन अपने आप अप्रमाणित होने से आवेदकगण का आवेदन पत्र खारीज होने योग्य है।
6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 6 गतल होने से अस्वीकार है आवेदकगण ने आवेदन पत्र पेश करने का कोई आधार ही पैदा नही होता है क्योकि आवेदकगण के पास पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है।
7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 7 कानूनी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।
8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 8 कानूनी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।
9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 9 कानूनी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।
10. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 10 में वर्णित राजस्व रिकार्ड अपडेट की व शपथपत्र की नकल नही दी गई है इसलिए इस खण्ड का उत्तर दिया जाना सम्भव नही है।

अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाय जावे।

दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर दोनों पक्षो को सुना गया रिपोर्ट पर अनावेदक सं. 1 व 2 को आपत्ति है लेकिन मुताबिक मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड आवेदकगण की भूमि ख.न. 574/573, व 575/573 के लिये मौके पर कोई [illegible] नही है ना ही कोई वैकल्पिक [illegible] से ख.न. 574/573, व रास्ता की व्यवस्था है इसलिए आ[illegible] 563/33 [illegible]/33 की सीमा पर से 575/573 तक ख.न. [illegible] कायम किये जाने योग्य है। मुताबिक रिपोर्ट रिकॉर्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 16:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 144 / 2020
होशियार सिंह वगै. बनाम राजेन्द्र वगै.
निर्णय दिनांक 25.03.2022

— :: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मैनाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 574 / 573, 575 / 573 के लिए खसरा नम्बर 563 / 33 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे 104 x 4 = 416एवं खसरा नम्बर564 / 33 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 107 x 4 = 428 मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा (प्रदर्श– अ) रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता ''गै.मू. रास्ता'' दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम मैनाना की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि आवेदकगण से जमा करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाने के बाद रास्ते का सीमांकन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम करे। जमाा राशि को सम्बधित खातेदार को भुगतान करे, एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मू. रास्ता दर्ज करे। रास्ता में आने वाला रकबा रहन मुक्त रहेगा। तहसीलदार रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श –अ निर्णय का भाग रहेगा।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.24 15:04:51 IST
Reason: SelfAttested